

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या-बि०व०से०(स्था०)-05/2021

/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत उनके ज्ञापांक-22/स०नि०-03/2021 सा०प्र०-9883 दिनांक-02.09.2021 के आलोक में विभागीय पत्रांक-3823 दिनांक-18.11.2024 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में उप वन संरक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित श्री पातंजलि कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना की संविदा अवधि को दिनांक-19.10.2025 से 65 वर्ष की आयु अर्थात् दिनांक-10.07.2026 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-बि०व०से०(स्था०)-05/2021

/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री पातंजलि कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-बि०व०से०(स्था०)-05/2021

901

/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव